उत्तराखण्ड शासन

श्रम विभाग

संख्याः— —/VIII-1/20—31(श्रम)/2015—टी0सी0

देहरादूनः दिनांकः21 अप्रैल, 2020

आदेश/संशोधन

शासन के आदेश संख्या 276/VIII—1/20—31(श्रम)/2015 टीसी, दिनांक 08.04.2020 द्वारा ब्वॉयलर अधिनियम, 1923 की धारा—34 (2) में विहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य में स्थापित ऐसे पंजीकृत ब्वॉयलर्स, जिनके प्रमाण पत्र की वैधता दिनांक 15 मार्च, 2020 से 30 अप्रैल, 2020 के मध्य समाप्त हो गई हो या हो रही हो तथा जिनके द्वारा COVID-19 के संकट के दृष्टिगत लॉकडाउन के दौरान जिला प्रशासन द्वारा अनिर्बाध सेवा में उत्पादित वस्तुओं या Continuous process के कारखानों में कार्य किया जा रहा है, के विषय में नवीनीकरण की वैधता दिनांक 30.04.2020 तक बढ़ाई गयी थी। उक्त आदेश के क्रम में नवीनीकरण की वैधता दिनांक 31.05.2020 तक के लिए विस्तारित की जाती है।

2. उक्त आदेश को इस सीमा तक संशोधित समझा जाये तथा उक्त आदेश दिनांकित 08 अप्रैल 2020 की अन्य शर्ते यथावत् प्रभावी रहेंगी।

(हरबंस सिंह चुघ)
सचिव।

संख्याः—287(1)/VIII-1/20—31(श्रम)/2015—टी0सी0, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
2. श्रमायुक्त, उत्तराखण्ड, श्रम भवन, नैनीताल रोड, हल्द्वानी।
3. मुख्य ब्वॉयलर निरीक्षक, उत्तराखण्ड, श्रम भवन, हल्द्वानी।
4. समस्त औद्योगिक संगठनों को सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा से,

(देवेन्द्र सिंह चौहान)
अनु सचिव।